सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और खोजी पत्रकारिता

आनंद चौधरी,

डॉ. प्रियदर्शिनी किरण

1. शोधार्थी, वनस्थली विद्यापीठ, निवाई, राजस्थान

2. शोध निर्देशिका व सहायक आचार्य, वनस्थली विद्यापीठ, निवाई, राजस्थान

बीज शब्द : सामाजिक सुरक्षा योजना, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, सामाजिक बीमा प्रणाली, गिल्ड संग्रहण व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा बीमा, कालाबाजारी, दैनिक भास्कर, पेंशन, क्रियान्वयन, अनियमितता, धांधली।

\- - - - - -

सार : यह लेख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और खोजी पत्रकारिता पर आधारित है। इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अनियमितताओं और धांधलियों को लेकर राजस्थान में प्रिंट मीडिया की ओर से की गई खोजी पत्रकारिता का अध्ययन किया गया है। खोजी पत्रकारिता के कारण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या बदलाव आए, इसका भी अध्ययन किया गया है। इसके साथ ही इस लेख में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की परिभाषा और इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया है।

\- - - - - - - -

सामाजिक सुरक्षा का अर्थ है भेदभाव, असुरक्षा, अस्थिरता और अन्याय से सुरक्षा। किसी भी देश या राज्य के नागरिकों को सामाजिक भेदभाव, अन्याय व गरीबी के अंतर से बचाने के लिए चलाए जाने वाले नीतियों और कार्यक्रमों को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कहा जाता है। अंतरर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का उद्देश्य उपचारात्मक या निवारक चिकित्सा सुविधा प्रदान करना और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियोक्ता के दायित्व तय करना है। आईएलओ ने 1984 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में सामाजिक सुरक्षा के अंतिम उद्देश्यों को निर्धारित किया।

यूनाइटेड किंगडम में नकद व वैधानिक लाभों को सामाजिक सुरक्षा माना गया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा शब्द सामाजिक बीमा प्रणाली तक सीमित है। यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क जैसे देशों के लिए गरीबी में कमी को ही सामाजिक सुरक्षा नीति का केंद्रीय उद्देश्य माना गया है। फ्रांस जैसे कई देशों में गरीबी से निपटने के उपायों को सामाजिक सुरक्षा में शामिल किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का इतिहास बहुत पुराना है। गरीबों की सहायता करने के लिए समुदायों पर करों का भुगतान करने के दायित्व को कई अलग-अलग समाजों में सैकड़ों वर्षों से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए ईसाई दशमांश या इस्लामी ज़कात के कार्य का एक हिस्सा गरीबों की सहायता करना था। जर्मनी में 1520 से शहरी गरीबों के लिए कानून पारित किए

गए और 1530 में पारित एक कानून ने स्पष्ट रूप से शहरों और समुदायों पर गरीबों को बनाए रखने का दायित्व डाला। 1794 में प्रशिया के राज्यों ने उन नागरिकों के लिए भोजन और आवास प्रदान करने की जिम्मेदारी संभाली जो खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ थे। 16वीं शताब्दी से इंग्लैंड में यह मान्यता बन गई कि ऐसे लोग हैं जिन्हें काम नहीं मिल सकता, और गरीबों को काम देने तथा बदमाशों और आलसी लोगों के लिए सुधार गृह बनाने के लिए कानून पारित किए गए। 1598 से पैरिशों पर स्थानीय कर लगाने और गरीबों के पर्यवेक्षकों को नियुक्त करने का स्पष्ट दायित्व डाल दिया गया ताकि जो लोग काम नहीं कर सकते थे उन्हें राहत दी जा सके और जो काम कर सकते थे उन्हें काम दिया जा सके। एलिज़ाबेथन गरीब कानूनों को 18वीं शताब्दी के अंत तक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया और उदार बनाया गया। एलिजाबेथन काल में 1834 में एक नया गरीब कानून लागू किया गया जो गरीबी के एक कठोर नैतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसमें गरीब व्यक्तियों को केवल वस्तु के रूप में राहत प्राप्त करने के लिए वर्कहाउस में भर्ती होने की आवश्यकता थी। इसने गरीब कानूनों की अलोकप्रियता में बहुत वृद्धि की। कुछ अमेरिकी राज्यों ने एलिज़ाबेथन गरीब कानूनों की नकल की, लेकिन हाल ही में आए अप्रवासियों को छूट दी। 1682 में जमैका में बेसहारा यूरोपीय प्रवासियों के लिए और उसके बहुत बाद में मॉरीशस (1902) और त्रिनिदाद (1931) में भी अंग्रेजी गरीब कानून लागू किए गए थे। लैटिन अमेरिका में स्पेनिश उपनिवेशवादियों ने सार्वजनिक राहत एजेंसी स्थापित करने के बजाय गरीबों (बेनिफिसेंसिया) के लिए अस्पताल प्रदान करने के लिए दान को अनुदान दिया और पुर्तगालियों ने मिसेरिकोर्डिया जैसे भाईचारे को बढ़ावा दिया।

सामाजिक योजनाओं की विधिवत शुरुआत जर्मनी की गिल्ड संग्रहण की व्यवस्था को माना जा सकता है। 1883 में लागू हुई इस योजना को पहली सामाजिक सुरक्षा योजना के तौर पर पहचाना जाता है। इसके अनुसार हर व्यापारी को नियमित अंतराल में अपने लाभ का कुछ हिस्सा जमा कराना होता था। इस तरह एकत्रित हुए फंड का उपयोग अस्पताल में इलाज, वृद्ध व विकलांक सदस्यों के भोजन व आवास और अंतिम संस्कार पर खर्च होता था। 1810 में प्रशिया में एक अध्यादेश के जरिए मालिकों को यह दायित्व सौंपा गया कि बीमारी के समय वे अपने नौकरों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएं। 1849 में प्रशिया में ऐसे उपनियम बनाए गए जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए राहत कोष में योगदान देने की परंपरा शुरू की गई। 1854 में एक कानून के जरिए कामगारों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा की शुरूआत हुई। जर्मनी में 1884 में एक कानून अस्तित्व में आया जिसमें दुर्घटना बीमा को अनिवार्य कर दिया गया और 1889 में कृषि, व्यापार और उद्योगों में काम करने वाले 70 साल की उम्र के श्रमिकों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू करने वाला कानून बनाया गया। 1908 में ब्रिटेन ने भी 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए पेंशन की शुरूआत की। 1893 में इटली और 1901 में स्वीडन व नीदरलैंड ने जर्मनी के इस कानून को अपनाया। 1897 में यूनाइटेड किंगडम ने काम के वक्त श्रमिकों को चोट लग जाने पर नियोक्ता को मुआवजा देने के लिए कानून बनाया गया।

दुनियां के करीब 140 देशों में किसी न किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित हैं। इनमें से लगभग सभी देशों में कार्य-संबंधी चोट और वृद्धावस्था और उत्तरजीवी पेंशन को कवर करने वाली योजनाएं लागू हैं। आधे से अधिक देशों में बीमारी के लिए प्रावधान हैं और लगभग आधे देशों में पारिवारिक भत्ते के लिए प्रावधान हैं। सबसे कम आम तौर पर प्रदान की

जाने वाली योजनाएं बेरोज़गारी के लिए हैं। कम से कम 40 देशों में बेरोजगारों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू हैं।

हालांकि, भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं अन्य देशों के मुकाबले बहुत देरी से आई हैं, लेकिन यहां सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का दायरा बहुत व्यापक है। राजस्थान और भारत में मुख्यत: जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं व कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं उनमें खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मातृत्व लाभ, ग्रामीण व शहरी रोजगार, चिकित्सा बीमा, सेवानिवृत्ति लाभ, मुफ्त चिकित्सा सुविधा, विकलांगता, वृद्धावस्था व विधवा पेंशन और बेरोजगारी भत्ता शामिल हैं।

राजस्थान में संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में ग्रामीण व शहरी रोजगार गारंटी, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस), सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना, राजस्थान प्लेटफार्म बेस्ट गिग वर्कस अधिनियम 2023, राजस्थान ट्रांसजेंडर उत्थान कोष योजना, विमुक्त घुमंतू, अर्द्ध-घुमंतू समुदायों का आर्थिक सशक्तिकरण योजना, राजस्थान राजश्री योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाएं प्रमुख हैं।

यहां हम राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में खोजी पत्रकारिता के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अनियमितता और धांधलियों को उजागर करके मीडिया ने हमेशा शासन और प्रशासन का ध्यान इस ओर दिलाया है। मीडिया की ओर से उठाए गए मुद्दों के कारण ही इन योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यापक सुधार हुआ और वंचित वर्ग को इसका फायदा मिला। यहां हम राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की स्थिति को लेकर मीडिया की ओर से समय-समय पर उजागर किए गए ऐसे ही कुछ चुनिंदा मामलों का अध्ययन करेंगे।

1. राशन के गेहूं की कालाबाजारी : वर्ष 2017

वर्ष 2013 में लागू हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश में गरीब परिवारों के हर सदस्य को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। अंत्योदय, बीपीएल, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी, स्टेट बीपीएल परिवारों सहित विभिन्न श्रेणी के परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आंकडों के अनुसार राजस्थान में करीब 4 करोड़ 46 लाख लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में हर माह राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।

राजस्थान में इस योजना में अनियमितताओं की सूचनाएं शुरुआत से ही आती रही हैं जिनको लेकर मीडिया ने समय-समय पर सरकार का ध्यान भी दिलाया, लेकिन इस योजना को लेकर सबसे बड़ा खुलासा 10 अक्टूबर 2017 को सामने आया। दैनिक भास्कर ने ''गरीबों का जो गेहूं बिक नही सकता, भास्कर ने 29 बोरी खरीदा, मंत्री के घर जाकर दिखाया राशन घोटाले का सच'' शीर्षक से प्रकाशित इस समाचार के जरिए राजस्थान के छह जिलों में खाद्य सुरक्षा योजना के चिंताजनक हालात को बयां किया। इस दौरान समाचार पत्र के खोजी पत्रकारों ने गरीबों को दिए जाने वाले राशन के गेहूं की 29 बोरियां खरीदकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री को सौंपी। नियमानुसार यह गेहूं गरीबों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाना था, लेकिन राशन डीलर्स ने 1500 रुपए प्रति बोरी की दर से गरीबों का यह गेहूं आटा मिल

मालिकों को बेच दिया। यह खुलासा करने से पहले दैनिक भास्कर के संवाददाता ने तत्कालीन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से मुलाकात कर उन्हें राशन का गेहूं बाजार में बेचे जानी की जानकारी दी थी, लेकिन मंत्री ने कहा – गरीब के अलावा दूसरा कोई भी राशन के गेहूं का एक दाना भी नहीं खरीद सकता।

खोजी पत्रकारों ने तीन स्तर पर इसकी पड़ताल की। पहली एफसीआई के गोदाम जहां से राशन का गेहूं आटा मिलों में जाता है। आटा मिल मालिक एफसीआई के गोदामों से यह गेहूं 5-7 रुपए प्रति किलोग्रामी दर से खरीदते हैं और बाद में इससे आटा तैयार कर उसे बाजार में 20-25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। इस पड़ताल की दूसरी कड़ी सहकारी समितियां थी जहां से गेहूं राशन डीलर्स के पास भेजा जाता है। सहकारी समितियों ने गरीबों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दिए जाना वाला यह गेहूं 8-10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर भास्कर संवाददाताओं को बेच दिया। आटा मिलों को सहकारी समितियों के माध्यम से भी राशन का गेहूं आसानी के साथ उपलब्ध हो जाता है। सहकारी समितियों यह गेहूं राशन डीलर्स को नहीं भेजकर आटा मिलों को बेच देती हैं। इस घोटाले का तीसरा और अहम किरदार राशन डीलर्स थे जिन्होंने 18 बोरी गेहूं संवाददाताओं को बेच दिया। राशन डीलर्स राशन का यह गेहूं गरीबों को बांटने की जगह बाजार में इसकी कालाबाजारी करते हैं।

दैनिक भास्कर ने अपनी खोजी रिपोर्ट में यह भी उजागर किया कि राशन डीलर्स गेहूं तो हर माह लाते हैं, लेकिन गरीबों को 2-3 माह में गेहूं वितरित करते हैं। राशन लेने आने वाले लोगों को यह कह दिया जाता है कि इस माह गेहूं नहीं आया और बाद में उनके हिस्से का वह गेहूं बाजार में बेच देते हैं।

दैनिक भास्कर की इस खोजी पत्रकारिता का बहुत व्यापक असर हुआ। यह रिपोर्ट प्रकाशित होने के अगले ही दिन सरकार हरकत में आई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अगले दो दिन में प्रदेशभर में 60 आटा मिलों पर कार्रवाई करके वहां रखा हुआ एक लाख क्विंटल राशन का गेहूं बरामद किया। सरकार ने राशन के गेहूं में अनियमितता और कोताही बरतने वाले 27 प्रशासनिक अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इनमें एक आईएएस, पांच आरएएस व 21 अन्य अधिकारी शामिल थे। दर्जनों राशन डीलर्स के लाइसेंस निरस्त किए गए और राशन की विरण प्रणाली को ऑनलाइन करने का फैसला हुआ।

राशन के गेहूं की कालाबाजारी पर खोजी पत्रकारिता :

भास्कर इन्वेस्टिगेशन

2 रिपोर्टर, 2 महीने और 6 जिलों में पड़ताल...जानिए राशन के गेहूं की कालाबाजारी की पूरी कहानी-

गरीबों का जो गेहूं बिक नहीं सकता, भास्कर ने 29 बोरी खरीदा, मंत्री के घर जाकर दिखाया राशन घोटाले का सच

मंत्री ने कहा था- एक दाना खरीदकर नहीं दिखा सकते

सच सामने लाने के लिए हमने पैसा दिया तो राशन डीलरों ने खोल दिए गोदाम

भास्कर ने अलग-अलग जगहों से राशन का गेहूं खरीदा....

गेहूं चोरी होने की पूरी कहानी-3 स्तरों में

गरीब की चांद जैसी रोटी पर भ्रष्टाचार का ग्रहण

सहकारी समितियां तो पूरा ट्रक तक बेचने को तैयार

राशन डीलर : सिर्फ कागजों में उठाया, वहीं बांट दिया

...और मंत्री भी रह गए हैरान

भास्कर इन्वेस्टिगेशन

गरीब के गेहूं में कालाबाजारी का घुन...गुनहगार...राशन डीलर-सहकारी समितियां

उधर...दो वक्त की रोटी का गेहूं नहीं, इधर...पैसा लेकर डीलर बोले-अगली बार ट्रक भरकर ले जाना

जानिए...किस तरह भास्कर पहुंचा राशन के गेहूं के सौदागरों तक और जाना पूरा सच

कालाबाजारी के इस खेल को इस तरह समझिए

खोजी पत्रकारिता का असर :

भास्कर का खुलासा
सबसे बड़ी कार्रवाई
गरीबों का गेहूं बाजार में बिक रहा था
60 आटा मिलों पर एसीबी के छापे, 4 डीएसओ सहित 14 अफसर निलंबित
• 12 डीलरों के लाइसेंस रद्द • खाद्य विभाग ने भी की कार्रवाई • निलंबितों में 10 प्रवर्तन अधिकारी व निरीक्षक भी
दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, राशन पर सिर्फ गरीब का हकः राजे

भास्कर का खुलासा
सबसे बड़ी कार्रवाई
गरीबों का गेहूं बाजार में बिकने का मामला : 4 डीएसओ सहित 14 अफसर एक दिन पहले हुए थे निलंबित, सरकार की सख्ती जारी
एक आईएएस व आरएएस सहित पांच अफसर और सस्पेंड, एसीबी के छापे जारी
राशन डीलर और होलसेलर्स का रिकॉर्ड जब्त

फोटो साभार : दैनिक भास्कर

2. पेंशन बंद करने के लिए सरकारी रिकॉर्ड में तीन लाख जिंदा लोगों को मृत बताया, खोजी पत्रकार जिंदा लोगों को ढूंढकर सरकार के सामने लाए।

सरकारी कागजों में 3 लाख जिंदा लोगों को मृत घोषित किए जाने का यह मामला दैनिक भास्कर ने 19 जुलाई 2016 को उजागर किया।

''सरकारी कागजों में मृत 60 हजार से अधिक महिलाओं ने कहा – हम जिंदा हैं, हमें पेंशन दो'' शीर्षक से प्रकाशित इस खोजी रिपोर्ट में यह बताया गया कि राजस्थान में 60 साल से अधिक उम्र के अधिकांश बुजुर्ग लोगों को कागजों में मृत बताकर उनकी वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी गई। खोजी पत्रकारों ने पांच जिलों के 50 गांवों में कागजों में मृत घोषित किए लोगों के संबंध में पड़ताल की तो उनमें से अधिकांश लोग जिंदा मिले। यह खबर आने से पहले ये लोग खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर हार चुके थे।

ऐसा नहीं है कि इस मामले की सरकार को जानकारी नहीं थी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के सचिव के पास कागजों में मृत बताए गए लोगों की शिकायतें पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने 8 लोगों की पेंशन फिर से शुरू की थी, लेकिन दैनिक भास्कर में यह खोजी खबर प्रकाशित होने के बाद प्रदेशभर में 1 लाख 20 हजार ऐसे लोगों की पेंशन फिर से शुरू हुई जिन्हें कागजों में मृत घोषित कर दिया गया था। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने यह भी माना कि कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती से 2 लाख 94 हजार लोगों को मृत बता दिया गया था। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि सरकार ने पेंशन का पैसा बचाने के लिए 60 वर्ष से अधिक उम्र के तमाम लोगों को मृत घोषित कर दिया था।

इस खोजी रिपोर्ट का व्यापक असर देखा गया। खबर प्रकाशित होते ही सरकार हरकत में आई और राजस्थान में जिन 10 लाख लोगों की पेंशन बंद की गई थी उनका फिर से सर्वे कराने का फैसला किया। इनमें 2 लाख 94 हजार वे लोग भी शामिल थे जिन्हें मृत बताकर पेंशन बंद कर दी गई थी। मुख्य सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर सभी जिला कलेक्टर्स से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी, जिसके आधार पर 1 लाख 20 हजार लोगों को कागजों में फिर से जिंदा

कर उनकी पेंशन शुरू की गई। इस खोजी खबर के बाद कागजों में मृत बताए गए जिन लोगों की पेंशन फिर से शुरू उनकी केस स्टडी को भी दैनिक भास्कर ने प्रकाशित किया।

भास्कर ग्राउंड रिपोर्ट
रिकॉर्ड में दफन मौतों का सच
सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित 3 लाख लोगों की सूची लेकर 5 जिलों के 50 गांवों तक पहुंचे भास्कर रिपोर्टर, कई पेंशनर जिंदा मिले जिनकी पेंशन बंद कर दी गई

सरकारी कागजों में मृत 60 हजार से अधिक महिलाओं ने कहा- हम जिंदा हैं, हमें पेंशन दो

देखो...हम जिंदा हैं ...हमारी पेंशन चालू करो, पिछले 10 महीनों से हमें क्यों नहीं मिल रही पेंशन?

भास्कर Q&A
हां, गलती तो हुई है

2.95 लाख लोगों को मृत सूची में डालकर पेंशन बंद कर दी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में। जबकि 2.90 लाख कुल लोगों की मौत होती है राजस्थान में बीमारियों, दुर्घटनाओं व अन्य कारणों से

यह छोटी गलती नहीं

कहां कितने लोगों को मृत मान पेंशन रोकी

जिला	मृत पेंशनर्स	जिला	मृत पेंशनर्स
उदयपुर	21004	भीलवाड़ा	13638
जयपुर	20913	नागौर	13541
चित्तौड़गढ़	16653	राजसमंद	12225
सीकर	16334	डूंगरपुर	12131
जोधपुर	14864	अजमेर	11569
बांसवाड़ा	14557	बाड़मेर	10342
कुल			295194

पढ़िए, पेंशन का दर्द बयां करती कहानियां
'तुम कागजों में मर चुकी हो, पेंशन नहीं मिलेगी'

पेंशन राशन भी नहीं मिल रहा- पढ़ें राजस्थान पेज

भास्कर ग्राउंड रिपोर्ट | इन महिलाओं ने कहा-हम जिंदा हैं हमारी पेंशन चालू करो, तो अफसर बोले..

'तुम कागजों में मर चुके हो, कैसे दें'

पेंशन का सच हर गांव में है ऐसी कहानी, जहां जिंदा लोगों को मृत मानकर पेंशन बंद कर दी गई, अब लगा रहे हैं चक्कर

फोटो साभार : दैनिक भास्कर

3. कागजों में उम्र बढ़ाकर बन गए पेंशन के हकदार, पेंशन के लिए अचानक बूढ़े बन गए कई गांव

राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन योजना में एक ओर बड़ा खुलासा दैनिक भास्कर ने 4 सितंबर 2018 को किया। राजस्थान के दूदू उपखंड के 20 गांवों में की गई इस खोजी रिपोर्ट में यह बताया गया कि वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए इन गांवों के हजारों लोग किस तरह कागजों में बूढ़े बन गए।

ई-मित्र संचालकों को पैसे खिलाकर पहले इन लोगों ने पहले आधार कार्ड में अपनी उम्र बढ़ाई और उसके बाद जब वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो गई तो आधार में वापस उम्र कम करवा ली। ताज्जुब की बात तो ये थी कि पेंशन पाने के लिए कई जगह तो मां-बेटों की उम्र एक जैसी हो गई। ऐसी खोजी रिपोर्ट के जरिए कई ऐसे मामले सामने लाए गए जिनमें राशन कार्ड में उम्र 40 साल, आधार कार्ड 45 साल और पेंशन पीपीओ में 70 साल कर दी गई। पेंशन के लिए इन गांवों में 30-40 साल के लोगों को एक ही दिन में 70 साल का बना दिया गया।

दैनिक भास्कर के खोजी पत्रकारों ने 10 गांवों में 2593 लोग ऐसे ढूंढ निकाले जिनकी कागजों में उम्र बढ़ाकर पेंशन शुरू की गई थी। इस पड़ताल में यह भी सामने आया कि ई-मित्र संचालकों ने पॉश मशीन पर अंगूठा लगवाकर पहले आधार कार्ड में उम्र बढ़ाई। उसके बाद भामाशाह कार्ड और राशन कार्ड में भी उम्र बढ़ा दी गई। इन दस्तावेजों के आधार पर इन लोगों ने पेंशन के लिए आवेदन कर दिया। पंचायत समिति में ऐसे फर्जी लोगों के नामों का

सत्यापन होने के बाद इनकी पेंशन शुरू कर दी गई। पेंशन शुरू होने के बाद आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड में उम्र फिर पहले जितनी कर दी गई।

कई गांव तो ऐसे थे जहां 40 साल तक की उम्र के हर महिला और पुरुष की उम्र बढ़ाकर उनकी पेंशन शुरू करवा दी गई। इस खोजी रिपोर्ट में यह भी उजागर किया गया कि एक तरफ जहां 40 साल के लोगों को 60 साल का बताकर पेंशन शुरू कर दी गई वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी उम्र 70 साल होने के बाद पेंशन शुरू नहीं की गई। ई-मित्र संचालकों को पैसा नहीं देने के कारण इन लोगों की पेंशन शुरू नहीं होने दी गई।

भास्कर की यह खोजी रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद राजस्थान सरकार हरकत में आई। जिन लोगों के फर्जी तरीके से उम्र बढ़ाकर पेंशन शुरू की गई थी, उनकी जांच के बाद पेंशन रोकी गई और जितनी पेंशन उन्हें मिली थी उसकी रिकवरी की कार्रवाई शुरू हुई।

भास्कर स्टिंग वृद्धावस्था पेंशन का सच, बुजुर्गों के हक का पैसा खा गए ई मित्र संचालक, पोस्टमैन

मां 83 की, बेटा 70 का...! पेंशन के लिए अचानक बूढ़े हो गए राज्य के ये बीस गांव

- दूदू तहसील की 7 ग्राम पंचायतों में 1500 से ज्यादा लोगों की उम्र बढ़ा दी
- भास्कर के पास हर वो नाम जिसने उम्र बढ़वाकर बुजुर्गों का पैसा खाया

भास्कर ग्राउंड रिपोर्ट कागजों में उम्र बढ़ाने वाली दूदू की 20 पंचायतों की होगी जांच

कागजों में गुम हुई 20 गांवों के दो हजार से ज्यादा लोगों की सही उम्र

ई-मित्र संचालक अफसरों के फर्जी साइन कर नाम पेंशन में जुड़वाते थे

फोटो साभार : दैनिक भास्कर

उपरोक्त तीन खोजी रिपोर्ट यह बताती हैं कि अगर मीडिया सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की ठीक से पड़ताल करे तो उनका दुरुपयोग रोकर प्रभावी क्रियान्वयन संभव है। राजस्थान की प्रिंट मीडिया ने समय-समय पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है जिसके कारण इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा। मीडिया से इसी भूमिका की उम्मीद की जा सकती है और वह अपनी भूमिका पर खरा भी उतर रहा है।

संदर्भ :

दैनिक भास्कर, 10 अक्टूबर 2017, पृष्ठ एक

दैनिक भास्कर, 19 जुलाई 2016, पृष्ठ एक

दैनिक भास्कर, 4 सितंबर 2018, पृष्ठ दो

विकासशील देशों में सामाजिक सुरक्षा के तहत चिकित्सा देखभाल (1982)

एल.डी. मैक्लेमेंट्स, द इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी (1978)

इनटू द ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी: द डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी (1984) है।

पीटर ए. कोहलर और हैंस एफ. ज़ैचर (संपादक), द इवोल्यूशन ऑफ सोशल इंश्योरेंस 1881-1981 (1982)

जेम्स मिडगली, सामाजिक सुरक्षा, असमानता और तीसरी दुनिया (1984)

माइकल कासर, सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में स्वास्थ्य देखभाल (1976)

ली सोडरस्ट्रॉम, द कैनेडियन हेल्थ सिस्टम (1978)

सिडनी सैक्स, ए स्ट्राइफ ऑफ इंटरेस्ट्स: पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज़ इन ऑस्ट्रेलियन हेल्थ सर्विसेज (1984)